पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उ0प्र0 खनन नीति 2017 के प्रख्यापन को मंजूरी

लखनऊ : 30 मई, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई।

खनिज प्रशासन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संगत अधिनियम एवं नियमावलियों में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने सम्बन्धी नियमों में किए गए संशोधन, भारत सरकार की मॉडल खनन नीति एवं अन्य राज्यों में प्रभावी खनन नीति को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त के मूल मंत्र पर आधारित अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं खनिजों के विषय में जागरूकता लाने, सर्वसामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच एवं उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यह सुदृढ़ एवं पारदर्शी नीति तैयार की गई है।

खनन नीति का मुख्य उद्देश्य खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास, खनिजों का संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय का संतुलन बनाए रखना, खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को 1.85 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3 प्रतिशत किया जाना, अवैध खनन व परिवहन पर तकनीकी के प्रयोग से नियंत्रण एवं इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करना, खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाना, खनिज उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन, खनिज आधारित आंकड़ों की उपलब्धता बढ़ाने, खनन विकास में पूंजी निवेश एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन, खनिजों के परिहार की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई–टेण्डरिंग, ई–ऑक्शन एवं ई–बिडिंग की प्रणाली को लागू करना आदि है।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खनिजों के व्यावसायिक रूप से दोहन के लिए उनके अन्वेषण में तीव्रता लाना, निम्न श्रेणी के खनिजों का उच्चीकरण करते हुए खनिज विकास एवं खनिज आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करना, खनन प्रशासन की प्रक्रिया को सरलीकृत, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना, उप

खनिजों के खनन में खनन पट्टों तथा अनुज्ञा पत्रों को ई–टेण्डर, ई–नीलामी एवं ई–बिडिंग के माध्यम से दिया जाना, खनिज आधारित सूचना के लिए निदेशालय स्तर पर विशेष सेल की स्थापना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आधारभूत सुविधाएं जैसे–प्रत्येक जनपद में एक लाभरहित न्यास जिला खनिज फाउण्डेशन की स्थापना, अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभागीय सचल दल तथा विभागीय सुरक्षा बल के गठन की रणनीति बनाई गई है।

इसके साथ ही, खनिज क्षेत्रों का सर्वे कराकर उसे उचित खण्डों में निर्धारित करते हुए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर समयबद्ध तरीके से परिहार पर स्वीकृत किए जाएंगे। अधिकाधिक क्षेत्रों को खनन पट्टे तथा खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि अवैध खनन की सम्भावना न रहे तथा शासकीय राजस्व की प्राप्ति के साथ ही, उद्योगों एवं रोजगार को बढ़ावा मिले। अवैध खनन तथा खनिजों के अवैध परिवहन करने वाले व्यक्तियों अथवा माफिया तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वृहत्तम दण्ड देने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी विभागीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा।

इसके अलावा, अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम में नवीनतम तकनीक का उपयोग जैसे–खनिज क्षेत्रों का जियो फेन्सिंग, जी0पी0एस0 ट्रैकिंग के माध्यम से खनिज वाहनों पर नियंत्रण एवं माईनिंग सर्विलांस सिस्टम की व्यवस्था, सी0सी0टी0वी0/पी0टी0जेड0 युक्त प्रणाली खनन चेक गेट पर स्थापित की जाएगी, जिसे कंट्रोल कमाण्ड सेण्टर से जोड़ा जाएगा। साथ ही, एम0एम0–11 के ई–जेनरेशन, चेक गेट पर खनिजों के वजन, आर0एफ0आई0डी0 बेस्ड आवक रिकॉर्ड, कमाण्ड कंट्रोल सेण्टर की स्थापना, रॉयल्टी के ऑनलाइन पेमेण्ट की व्यवस्था, परिवहन विभाग एवं व्यापार कर विभाग के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन, खनिज क्षेत्रों की सेटेलाइट मैपिंग तथा सभी खानों, स्वीकृत खनन पट्टों, खनिज भण्डारण, खनिज वाहनों का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

इसके साथ ही, दोषी पट्टादारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर खनन पट्टा निरस्त कर, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा। खनन सम्बन्धी अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रानुसार विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। जिला खनिज फाउण्डेशन के माध्यम

से खनन से प्रभावित व्यक्तियों व क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कराई जाएंगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत खनिज क्षेत्रों एवं आस–पास के इलाकों में जनसुविधाओं का विकास कराया जाएगा तथा खनिज क्षेत्रों में परिवहन मार्ग विकसित किए जाएंगे।

खनन परिहार के लिए सभी पट्टों के परिहारों की स्वीकृति ई–टेण्डर, ई–ऑक्शन अथवा ई–बिडिंग के माध्यम से की जाएगी। सभी परमिट अथवा पट्टों के लिए बल एवं पर्यावरण अनापत्ति अनिवार्य होगी।

नदी तल के उप खनिजों के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन व्यवस्था है। दीर्घकालीन व्यवस्था के तहत नदी तल के उप खनिजों का यथा सम्भव बड़े क्षेत्रफल के खण्ड जो 05 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल के होंगे, बनाकर पट्टे दिए जाएंगे। ऐसे दीर्घकालीन पट्टों की अवधि कम से कम 05 वर्ष की होगी। दीर्घकालीन अवधि के लिए व्यवस्थापन सम्भव न होने पर अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जाएगा, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी।

स्वस्थानें चट्टान (In Situ Rocks) के रूप में पाए जाने वाले इमारती पत्थर के खनन पट्टे वर्तमान में 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किए जाते हैं तथा उनका एक बार नवीनीकरण किए जाने की भी व्यवस्था है। वर्तमान स्वीकृत एवं चालू खनन पट्टे अपनी पट्टा अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा अवधि समाप्ति के उपरान्त इन खनन पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसे–जैसे क्षेत्र रिक्त होते जाएंगे, रिक्त क्षेत्रों तथा नए क्षेत्रों को 20 वर्ष की अवधि के लिए ई–टेण्डर, ई–ऑक्शन या ई–बिडिंग के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाएंगे।

ग्रेनाइट साईज्ड डायमेन्शनल स्टोन खनिज के खनन पट्टे वर्तमान में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित किए जाते हैं एवं उनका नवीनीकरण भी किया जाता है। वर्तमान में यह स्वीकृत खनन पट्टे भी अपनी पट्टा अवधि तक प्रभावी रहेंगे। खनन पट्टा की अवधि समाप्ति के उपरान्त इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसे–जैसे क्षेत्र रिक्त होते जाएंगे, इन क्षेत्रों को ई–टेण्डर, ई–ऑक्शन या ई–बिडिंग के माध्यम से अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जाएगा। नए क्षेत्रों को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस सह खनन पट्टा (कम्पोजिट लाइसेंस) ई–टेण्डर, ई–ऑक्शन या ई–बिडिंग के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस की अवधि अधिकतम 02 वर्ष तथा प्रोस्पेक्टिंग के उपरान्त खनिज की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

स्वस्थाने चट्टान के रूप में पाए जाने वाले उप खनिज जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे, के जो खनन पट्टे वर्तमान में चल रहे हैं, वह अपनी अवधि तक प्रभावी रहेंगे। अवधि समाप्ति के बाद खनन पट्टा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इसके उपरान्त क्षेत्र रिक्त होने पर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए ई–टेण्डर, ई–ऑक्शन या ई–बिडिंग के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किए जाएंगे।

साधारण मिट्टी के खनन के लिए वर्तमान में अधिकतम 6 माह के लिए अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाता है तथा निकासी की जाने वाली मात्रा पर विनिर्दिष्ट दर से रॉयल्टी जमा कराई जाती है। साधारण मिट्टी का बहुतायत प्रयोग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों में किया जाता है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण परियोजनाओं के लिए तैयार डी0पी0आर0 में निर्दिष्ट साधारण मिट्टी की मात्रा के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं से एकमुश्त रॉयल्टी जमा कराकर अनुज्ञा पत्र निर्गत किए जाएंगे, ताकि शासकीय निर्माण कार्य को गति प्रदान की जा सके तथा राजस्व की क्षति भी न हो।

ईंट के निर्माण में भट्ठा मालिकों द्वारा काश्तकारों की सहमति से उनके खेतों से मिट्टी का खनन कर उपयोग किया जाता है। ईंट मिट्टी का खनन सामान्यतः छोटे–छोटे खण्डों में किसानों के अलग–अलग खेतों से किए जाते हैं, जिसके कारण ईंट मिट्टी के खनन की वास्तविक मात्रा का आंकलन व्यावहारिक रूप से नहीं हो पाता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में वाणिज्य कर की भांति ईंट मिट्टी की रॉयल्टी के लिए एकमुश्त समाधान योजना वर्ष 2005 से प्रभावी है। ईंट पथाई के दौरान पलोथन के रूप में प्रयोग होने वाली बलुई मिट्टी के लिए समाधान योजना के तहत एकमुश्त रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की धनराशि समाधान योजना में जोड़कर ली जाती है। समाधान योजना की इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाएगा।

खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के उपयोग में होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए खनन पट्टाधारकों से खनिजों की निकासी पर देय रॉयल्टी के 01 प्रतिशत समतुल्य धनराशि अधिभार के रूप में वसूल की जाएगी।

————————————

PN-CM-Cabinet Decision-Mining Policy-30 May, 2017